आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

17/12/19

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 264/2018–19

श्री राम नारायण साह, पिता–स्व0 उदय चन्द साह, सा0–दक्षिण महेश्वरी, वार्ड नं0 17, थाना–जोगबनी, जिला–अररिया – आवेदक

बनाम

लजिया देवी, पति–सत्यनारायण साह, सा0–दक्षिण महेश्वरी, वार्ड नं0 17, थाना–जोगबनी, जिला–अररिया – विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक श्री राम नारायण साह, पिता–स्व0 उदय चन्द साह, ग्राम–दक्षिण महेश्वरी, वार्ड नं0 18, थाना–जोगबनी, जिला–अररिया द्वारा अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को जमाबंदी संशोधन हेतु दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में अपने पत्रांक 1975, दिनांक 15.10.2018 द्वारा निम्न विवरण की भूमि का दर्ज जमाबंदी सं0 2324 बनाम लजिया देवी को रद्द करने का प्रस्ताव अभिलेखवद्ध कर अभिलेख सं0 24/2018–19 अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया। अभिलेख इस न्यायालय को प्राप्त होने के पश्चात् पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। सूचनोपरांत पक्षकार अधिवक्ता शक्ति पत्र के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
दक्षिण महेश्वरी थाना नं0 175	79	990	1.21 ए0	2324 बनाम लजिया देवी

आवेदकगणों के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का गलत तरीके से आवेदकगणों की अपनी भाभी लजिया देवी जो विपक्षी है। पति सत्यनारायण साह ने अपने नाम से गलत बँटवारानामा बनवाकर गलत रूप से जमाबंदी सं0 2324 संधारित कर लगान रसीद निर्गत करवा लिया है। जिसकी जानकारी आवेदकगण को मिलने पर आवेदक राम नारायण साह ने अंचलाधिकारी, फारबिसगंज को सूचना आवेदन दिया। जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा जाँच पड़ताल कर फर्जीवाड़ा को सही पाकर आवेदकगण के हित में इस जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की है, जो पूर्णतः सही हैं।

आगे इनका यह भी कहना है कि जिस नामान्तरण वाद सं0 1129/2016–17

के आधार पर विपक्षी लजिया देवी के नाम से जमाबंदी सं0 2324 दर्ज की गई है, वह अभिलेख सं0 1129/2016–17 वास्तव में मोती चंद साह के नाम से दर्ज है। जिसकी अभिप्रमाणित प्रति अंचलाधिकारी द्वारा अभिलेख में संलग्न की है। अंचल अधिकारी, फारबिसगंज ने पत्रांक 530, दिनांक 23.02.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि इस जमाबंदी से संबंधित नामान्तरण वाद सं0 1129/2016–17 आवेदक श्री मोती चंद साह, पे0–स्व0 नंदलाल साह, सा0–बैजनाथपुर के नाम से है। खोज के क्रम में पाया गया कि लजिया देवी, पति–सत्यनारायण साह, सा0–दक्षिण महेश्वरी के नाम नामान्तरण वाद सं0 8072/2016–17 दायर है, जो वाद अस्वीकृत है। अस्वीकृत वाद का गलत नामान्तरण वाद दर्ज कर जमाबंदी दर्ज होना युक्ति संगत नहीं है, जिसे रद्द करने के पर्याप्त साक्ष्य है।

जहाँ विपक्षी अपने प्रतिउत्तर के पारा–9 में यह दावा की है कि आवेदक राम नारायण साह के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार उनके जमाबंदी का विरोध नहीं करते है, सही नहीं है। क्योंकि सत्यनारायण साह जो विपक्षी के पति है, को छोड़कर सभी फरीकेन उक्त फर्जी बँटवारा एवं जमाबंदी का विरोध करते है। साथ ही इस वाद में पक्षकार भी है। मो0 लुखनी देवी से विपक्षी लजिया देवी को दान में पंचनामा द्वारा भूमि प्राप्त होने का दावा किया गया है, जो बिल्कुल जाली, अवैध एवं न्याय के हित में दो बिन्दुओं के कारण पोषणीय नहीं है :–

(i) यदि पंचनामा बँटवारा को माना जाय तो तबतक वैद्य नहीं है, जबतक कि सभी हिस्सेदारों की बँटवारा के लिये सहमति न हो। (बिहार–दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अध्याय 5 धारा 6 की उपधारा 11 के अनुसार)

(ii) यदि कथित बँटवारा नामा को दान पत्र माना जाय तो हिन्दु विधि के अनुसार कोई भी दानपत्र तब तक वैद्य नहीं हो सकता जबतक कि वह सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निबंधित नहीं हों। इस दृष्टिकोण से भी यह कथित बँटवारा नामा गलत एवं पोषणीय नहीं है। (अधिनियम की धारा 6 उपधारा 9 के अनुसार)

इस प्रकार कथित तौर पर विपक्षी के नाम दर्ज की गई जमाबंदी सं0 2324 को रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी लजिया देवी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि के खतियानी रैयत उदय चंद साह व दुल्ली चंद साह, पिता–पूरन साह थे, जिसपर वे लोग संयुक्त रूप से दखल काबिज थे। जिसे आपसी बँटवारा के पश्चात् उदय चंद साह के हिस्स में अन्य भूमि के साथ वाद भूमि भी प्राप्त हुई।

उदय चंद साह ने अपने जीवन काल में एक यादास्त बँटवारा दिनांक 30.03.1989 द्वारा अपने सभी पुत्रों और पत्नी को अपनी भूमि सिडुल 'क' से 'ङ' (कुल 5 सिडुल) में भूमि को बाँट दी जिसमें वाद भूमि सिडुल ङ द्वारा उदय चंद साह की पत्नी लुखनी देवी को प्राप्त हुई, परन्तु गलती से खेसरा सं0 990 की जगह 790 दर्ज

हा गइ। किन्तु लुखनी दवा न अपन पुत्रवधु विपक्षा लाजया दवा क सवा सत्कार स खुस होकर प्रश्नगत भूमि दिनांक 22.11.2015 को पंचनामा बँटवारा द्वारा विपक्षी को राजी खुशी से दे दी गई। जिसपर पंचों का हस्ताक्षर भी मौजूद है। चूँकि यह लुखनी देवी की अपनी सम्पत्ति थी जो उन्हें अपने पति से हिस्से में प्राप्त हुई थी, अपनी राजीखुशी से अपनी पुत्रवधु को दी थी, जिसपर अन्य फरीकेनों की सहमति आवश्यक नहीं हैं। अतः इस प्रकार विपक्षी लजिया देवी को अपनी सास से पंचनामा बँटवारा द्वारा भूमि प्राप्त होने के पश्चात् अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के नामान्तरण वाद सं0 1129/2016–17 द्वारा नामान्तरण होकर जमाबंदी सं0 2324 दर्ज हुआ है, जो सही हैं, जिसे रद्द करने का कोई आधार नहीं है।

आगे इनका यह भी कहना है कि आवेदक रामनारायण साह के आवेदन पर अंचलाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा विपक्षी के जमाबंदी सं0 2324 को रद्द करने का गलत प्रस्ताव प्रभाव में आकर प्रेषित किया गया है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन मे खाता सं0 79 के खेसरा सं0 790 को आधार बनाया है, जबकि मूल पंचनामा दिनांक 30.03.1989 के सिडुल 'ङ' में गलती से खेसरा सं0 990 की जगह 790 दर्ज हो गया था। परन्तु विपक्षी लजिया देवी को पंचनामा बँटवारा दिनांक 22.11.2015 में खेसरा सं0 990 प्राप्त हुआ है। जिसका विधिवत नामान्तरण वाद सं0 1129/2016–17 के आधार पर जमाबंदी सं0 2324 विपक्षी लजिया देवी के नाम जमाबंदी दर्ज है। जिसे बरकरार रखते हुए विपक्षी के विरूद्ध लाये गये इस जमाबंदी रद्दीकरण वाद को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

अतः उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख तथा संलग्न सक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के पंचनामा बँटवारा की वैद्यता की चुनौती इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। जहाँ तक पंचनामा बँटवारा के नामान्तरण का प्रश्न है तो बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अध्याय 5 की उपधारा (9) एवं (11) में उल्लेखित है कि :–

(i) उपधारा (9) – क्रय–विक्रय, दान अथवा विनिमय के द्वारा अंतरण के आधार पर दाखिल खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जबतक कि वह निबंधित न हों।

(ii) उपधारा (11) – न्यायालय अथवा निबंधित विलेख से अन्यथा बँटवारा के आधार पर दाखिल खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जायेगा जबतक कि सभी हिस्सेदारों की बँटवारा के लिये सहमति न हो।

उपरोक्त दोनों धाराओं के विपरीत विपक्षी के पंचनामा बँटवारा को पाया जाता है, क्योंकि उक्त अधिनियम 2011 में प्रकाशित हुई है और विपक्षी का पंचनामा बँटवारा दिनांक 22.11.2015 की है। इसके साथ ही साथ अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के पत्रांक 530, दिनांक 23.02.2019 द्वारा प्रतिवेदित है कि नामान्तरण वाद सं0 1129/2016–17 आवेदक श्री मोती चंद साह, पे0–स्व0 नंदलाल साह, सा0–बैजनाथपुर के नाम से दर्ज है, जो मौजा–बैजनाथपुर, थाना नं0 160, खाता 63 ई0, खेसरा 1001 ई0, रकवा

1.12.750 ए0 से संबधित है, जो विपक्षी के वाद भूमि से सर्वथा भिन्न है। लजिया देवी, पति–सत्यनारायण साह, सा0–दक्षिण महेश्वरी के नाम नामान्तरण वाद सं0 8270/2016–17 दायर है, जो अस्वीकृत है।

इस प्रकार अस्वीकृत नामान्तरण वाद सं0 8072/2016–17 के आधार पर विपक्षी के नाम दर्ज की गई जमाबंदी सं0 2324 को अवैध पाते हुए रद्द किया जाता है। अंचलाधिकारी, फारबिसगंज को आदेश दिया जाता है कि रद्द की गई जमाबंदी की भूमि को मूल जमाबंदी में शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।

पारित आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को वापस भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

17/7/19
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

17/7/19
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 62 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 17/07/2019

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 24/2018–19 (अंचल–फारबिसगंज) मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 24/2018–19 मूल में।

17/7/19
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

M.I.C. Araria